Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भीलवाड़ा इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज सोमवार को मथुरा सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटड़ी जिला भीलवाड़ा को 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में आरोपी सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह थाना कोटडी द्वारा 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भीलवाड़ा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बृजराज सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक श्री शिवप्रकाश एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **मथुरा सिंह** पुत्र श्री भैरूराम मीणा, नि0 लुहारीकलां थाना हनुमाननगर, जिला भीलवाड़ा हाल **सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोटड़ी जिला भीलवाड़ा** को परिवादी से 5 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वाजिब कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपी मथुरा सिंह